राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर

क्रमांकः– एफ13 / 1 / 3 / अ.अभि. / वि.पं / वीएस / डीईएस / 2018 / 158 दिनांकः 09/04/2019

जिला नोडल अधिकारी
(विवाह पंजीयन) एवं
उप / सहायक निदेशक
राजस्थान

विषयः– राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2009 के अन्तर्गत विवाहों के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में मार्गदर्शन बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2009 के अन्तर्गत राज्य में अनुष्ठापित विवाहों का पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है। आमजन को विवाह पंजीकरण में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु निम्न निर्णय द्वारा विवाह पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करावें।

विधवा / विधुर के अनुष्ठापित किये गये विवाह के पंजीकरण हेतु **जिस पक्ष की मृत्यु हो चुकी है विवाह के साक्ष्य के लिये उसके माता पिता अथवा संरक्षक द्वारा शपथ पत्र नही दिये जाने एवं विवाह के अन्य सभी साक्ष्य रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत होने पर रजिस्ट्रार मृतक के माता पिता अथवा संरक्षक को विवाह के पंजीकरण के संबंध में 15 दिवस में शपथ पत्र देने एवं उपस्थित होने हेतु रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित करेगा।** रजिस्टर्ड नोटिस के पश्चात भी यदि मृतक पक्ष के माता, पिता अथवा संरक्षक शपथ पत्र नही देते है अथवा / और उपस्थित नही होते है तो निम्न प्रक्रिया द्वारा विवाह पंजीयन करवाया जावें:–

**"रजिस्ट्रार विवाह में उपस्थित अन्य चार प्रतिष्ठित गवाहों के शपथ पत्र एवं बयान पश्चात सम्पूर्ण तथ्यों की जांच करेगा एवं स्वंय की संतुष्ठि उपरान्त विवाह के मृतक पक्ष के माता पिता / संरक्षक की उपस्थिति की छूट देकर नियमानुसार विवाह का पंजीकरण करेगा एवं पंजीकरण रजिस्टर में संबंधित गवाहों के हस्ताक्षर भी लेगा"।**

(डॉ0 ओम प्रकाश बैरवा)
महारजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ13 / 1 / 3 / जेआर / वीएस / डीईएस / 2016 / 159-160 दिनांकः 09/04/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विवाह पंजीयन अधिकारी एवं आयुक्त, नगर निगम, जिला ..............................।
2. जिला कलेक्टर एवं विवाह पंजीयन अधिकारी.........................................।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव